ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत धुन्धला में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुषमा कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वतन सिंह	01.04.2022 से 20.08.2023
2.	श्री भजन सिंह	21.08.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (` लाखों में)
1)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	39.96
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.01
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.11
4)	8.1	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	18.53
5)	8.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	7.07
6)	8.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	0.85
7)	8.4	तकनीकी मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान	0.42
8)	9.1	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.83
9)	9.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.10
10)	9.3	सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.67
11)	9.4 व 9.5	मनरेगा शीर्ष से अधिक भुगतान	0.04
12)	10.1 व 10.2	अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	19.65
13)	10.4	उचित बिलों के बिना भुगतान करना	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क (माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर) ₹7200 की

			वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 0201861 दिनांक --- द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा- 4	निर्णीत	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा- 5	निर्णीत	गृहकर की वसूली की पुष्टि उपरांत।
4.	पैरा- 6	अनिर्णीत।	
5.	पैरा- 7	अनिर्णीत	
6.	पैरा- 8	अनिर्णीत	
7.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-10 (क)	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार।
9.	पैरा-10 (ख)	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार।
10.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-16	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11.3 में पुनः प्रारूपित।
16.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-18	निर्णीत।	सटिप्पण उत्तरानुसार।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक

05/08/2024 से 14/08/2024 तक ग्राम पंचायत धुन्धला के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	03/2023	06/2022
2023-24	01/2024	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 687/2024 दिनांक 14/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत धुन्धला द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित बंगाणा के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 281115 दिनांक 16/08/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत धुन्धला द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 658/2024 दिनांक 05/08/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पांच रोकड़ बहियों अर्थात्

स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग Online, स्वच्छ भारत मिशन 2022-23 (PFMS), 2023-24 (Offline), Irrigation and Public Health Department (IPH) Offline व मनरेगा online का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	3704040.50	7674776.856	11378817.36	7271999.86	4106817.50
2	2023-24	4106817.5	4143132.28	8249949.78	4254208.08	3995741.70

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत धुन्धला के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹200** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता **पैरा 4(क)** का अंतशेष	3995741.70
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3994354.70**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	1187.00
4)	**योग (2+3)**	**3995541.70**
5)	**अन्तर (4-1)**	**200.00**

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹200 के अन्तर बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्ष की

रोकड बही एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹200** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 661/2024 दिनांक 07/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अंतर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (`)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (`)**	**अन्तर (`)**
1	**2**	**3**	**4**	**5(3-4)**
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1596322.50	1596122.50	200

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 658/2024 दिनांक 05/08/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 14/08/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹39.96 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 658/2024 दिनांक

05/08/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3995741.70** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अतः ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 658/2024 दिनांक 05/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 13 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 658/2024 दिनांक 05/08/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने

के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.01 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 658/2024 दिनांक 05/08/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 14/08/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹740 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	26940	14000	40940	39660	1280
2023-24	1280	14340	15620	14880	740

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.11 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के

दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹11200** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	6800
2	2023-24	4400
	योग	**11200**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 664/2024 दिनांक 07/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "ग" में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹800** की कम वसूली की गई थी|

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	800
	योग	**800**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 665/2024 दिनांक 07/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 33781 दिनांक 23.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है | अतः उक्त वसूल की गई राशि को यथाशीघ्र राजकीय कोष के आय शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 निर्धारित सीमा से अधिक राशि को हस्तगत रखना :-

पंचायत की रोकड़ बही की जाँच दौरान पाया गया, कि पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** निर्धारित सीमा **₹1000** से अधिक राशि को हस्तगत रखा गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा केवल **₹1000** तक की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है | ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की पालना नहीं की गई तथा निर्धारित दर से अधिक राशि नगद रखी गई | अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 685/2024 दिनांक 14/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में इस बारे ध्यान रखा जाएगा | अतः भविष्य में उपरोक्त नियम अनुसार ही कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्रम संख्या	मास	हस्तगत राशि ₹
1.	05/2022	1518
2.	06/2022	2318
3.	07/2022	2318
4.	08/2022	1196
5.	10/2022	1956
6.	11/2022	2156
7.	12/2022	3554
8.	01/2023	2336
9.	02/2023	3634
10.	03/2023	13094
11.	04/2023	13094

12.	05/2023	13694
13.	06/2023	15494
14.	07/2023	16091
15.	01/2024	1667
16.	02/2024	2467
17.	03/2024	1187

8.1 ₹18.53 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2022 व 06/2023 में **सलंग्न परिशिष्ट "घ" अनुसार ₹1853043** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 672/2024 दिनांक 12/08/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत धुन्धला के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.07 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹706509** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 673/2024 दिनांक 12/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता

को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है ।उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए | सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	Own & GIA (Consolidated)	06/22	17 08.06.22	अजय कुमार सपुत्र श्री बलबीर सिंह गांव मलांगड़	चायपान	3600
2	Own & GIA (Consolidated)	06/23	13 ---	रेखा देवी पत्नी श्री सुख देव गांव धुन्धला	चायपान	2250
3	Own & GIA (Consolidated)	06/23	14 ---	आर्यन ट्रेडर गांव बंगाणा	स्टेशनरी	2205
4	Own & GIA (Consolidated)	06/23	15 17.05.23	M/s Vishwakarma traders Bangana	अलमारी	11210
5	MNREGA	06/22	741 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	91581
6	MNREGA	06/22	742 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	92927
7	MNREGA	06/22	743 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	93858
8	MNREGA	06/22	745 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	74036
9	MNREGA	06/22	737 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	13326
10	MNREGA	06/22	744 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	110238
11	MNREGA	06/22	746 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	99886
12	MNREGA	06/23	1518 01.10.22	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	42792
13	MNREGA	06/23	1518 01.10.22	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	46545
14	MNREGA	06/23	1571 25.12.22	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	22055
					योग	**706509**

8.3 ₹0.85 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2023 में **₹84953** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 671/2024 दिनांक 12/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	बिल संख्या	विवरण	राशि(18 % GST सहित)
1	मनरेगा	शून्य	06/23	2061	3000 टाईल / पेवर @ 11.80/- प्रति पेवर	35398
2	मनरेगा	शून्य	06/23	2069	4200 टाईल / पेवर @ 11.80/- प्रति पेवर	49555
					योग	**84953**

8.4 तकनीकी मूल्यांकन के बिना ₹0.42 लाख की मजदूरी का भुगतान :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम एस - 17 /2002 – आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22.09.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा । लेकिन व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत **निम्नलिखित विवरणानुसार** मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान की गई **₹42000** की मजदूरी की माप पुस्तिका में मूल्यांकन / कार्य प्रगति की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	मस्टररोल संख्या	अवधि	कार्य का नाम	राशि (`)	टिप्पणी
1	मनरेगा	06/23	761	16.06.23 to 30.06.23	C/o Link road main road se lekar keshav chand aadi ki aur	9600	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 30852 का पृष्ठ संख्या 31 गलत अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ खाली छोडा गया था |
2	मनरेगा	06/23	748	16.05.23 to 30.05.23	C/O Sadak Bangla se lekar Keshav Chand ward no 5	18960	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 30852 का पृष्ठ संख्या 30 गलत अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ खाली छोडा गया था |
3	मनरेगा	06/23	1424	01.06.23 to 15.06.23	C/O Sadak Bangla se lekar Keshav Chand ward no 5	13440	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 5668 का पृष्ठ संख्या 04 अंकित किया गया था, जबकि उक्त माप पुस्तिका अंकेक्षण में बार –बार मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं की गई |
					योग	**42000**	

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 678/2024 दिनांक 13/08/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या- 15 दिनांक 13/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि माप पुस्तिकाओं में मूल्यांकन करवा दिया जाएगा। अतः माप पुस्तिका में मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में विकास कार्यों का मुल्यांकन उपरान्त ही मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.1 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.83 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं कि जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 06/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "ड."** अनुसार **₹83258.32** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 675/2024 दिनांक 12/08/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15/2024 दिनांक 14/08/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को

खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अत: **₹83258.32** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.10 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के चयनित माह 06/22 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "च"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹501336** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹10026.72** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (`)	योग (`)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (`)
1	2022-23	M/s Aryan Enterprises Dhundhla	Steel	501336	501336	10026.72 (2% x501336)
				योग	501336	**10026.72**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 682/2024 दिनांक 13/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹10026.72** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.3 निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण ₹0.67 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व वित्तीय वर्ष 2023-24 के चयनित माह 06/2023 में मनरेगा शीर्ष से करवाए गए **सलंग्न परिशिष्ट "छ" में वर्णित** निर्माण कार्यों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री (रेत, बजरी व सरिये) का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री का क्रय आवश्यकता से अधिक किया गया था और शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था | इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹66800.80** का अधिक भुगतान किया गया था | अत: इस अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 683/2024 व 686/2024 दिनांक 14/08/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त

पत्र में वर्णित अधिक भुगतान के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

9.4 मनरेगा शीर्ष से ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2023 में व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रास्तों के निर्माण कार्यों हेतू प्रयोग की गई निर्माण सामग्री, सीमेंट की ढुलाई हेतु व्यय निविदायें आमंत्रित करके किया गया था, जिसमें नरेश कुमार गांव ननावीं से सीमेंट की ढुलाई हेतु **₹15** प्रति बैग की दर से न्यूनतम दर की निविदा प्राप्त हुई थी, परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा रमजान सीमेंट स्टोर ननावी को **₹20** प्रति बैग की दर से अर्थात् **₹5** प्रति बैग की दर से अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त व्यक्ति को **निम्न विवरनानुसार ₹2375** का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 684/2024 दिनांक 14/08/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 33782 दिनांक 23.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है। जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है। अत: उक्त वसूल की गई राशि को यथाशीघ्र मनरेगा मद के खाता संख्या 4193000100031015 (State Head) में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

1 क्रम संख्या	2 बिल संख्या	3 माह	4 मात्रा (बैग)	5 भुगतान योग्य दर (₹) प्रति बैग	6 भुगतान की गई दर (₹) प्रति बैग	7 अन्तर (`)	8 (4×7) अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	17	06/23	193	15	20	5	965
2	16	06/23	126	15	20	5	630
3	19	06/23	59	15	20	5	295
4	05	06/23	97	15	20	5	485
						योग	**2375**

9.5 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.02 का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost** परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए **निम्न विवरणानुसार** सामग्री के रूप में **₹2361** का अधिक भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 681/2024 दिनांक 13/08/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली रसीद संख्या 33778 व 33779 दिनांक 07.08.24 व 23.08.24 द्वारा करके पंचायत लेखे में जमा करवा दी गई है | जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से कर ली गई है | अत: उक्त वसूल की गई राशि को यथाशीघ्र मनरेगा मद के खाता संख्या 4193000100031015 (State Head) में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	लाभार्थी को व्यय राशि (`)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (`)	लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (`)
1	C/O Retaining wall near h/o Ashok kumar	(मस्ट्रोल संख्या 8020 व 8021) (19691+6090= 25781 × 2/3 = 17187)	18300	17187	1113
2	C/O Retaining wall near h/o Gurdyal Chand	(मस्ट्रोल संख्या 7665 व 8022) (17458+8120= 25578 × 2/3 = 17052)	18300	17052	1248
				योग	**2361**

10.1 ₹11.49 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 व 06/2023 में **निम्न विवरणानुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹1148653** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 677/2024 दिनांक 13/08/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए |

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (`)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	9 06/22	खाता निर्माण लिंक रोड बंगला से कर्म चन्द के घर तक	वाउचर फाइल में बिल सलंग्न नहीं था		सीमेंट 100 बैग	36312
2	15th fc	9 06/22	निर्माण पिने के पानी का टैंक गांव नमावीं	305646 09.03.22	Cement	27641
3	मनरेगा	-- 06/22, 06/23	Up gradation of Mokshdham Nanawin	305638 28.02.22, 18 02.06.23	Cement, sand, agg. Etc.	75118
4	मनरेगा	-- 06/22	C/o Link road H/O Ajay Kumar se Kangdu ki Aur	44455 14.12.21	Cement	368544
5	मनरेगा	-- 06/22	C/o Link road main road se lekar keshav chand aadi ki aur	305646 28.02.22	cement	55282
6	मनरेगा	-- 06/22,	C/o Link road Nanawin se NH ki	305641 28.02.22, 16,	Cement, sand, agg.	226902

		06/23	Aur	2069, 21, 305 22.01.23	etc	
7	मनरेगा	-- 06/22	Up gradation of Pond Panchvati beri	305642 28.02.22 737, 744, 746 Dtd 30.10.21	cement	269517
8	मनरेगा	-- 06/23	Up gradation of Mokshdham Dhundhla	1518 01.10.22	Steel	42792
9	मनरेगा	-- 06/23	C/o rasta school se lekar kurali tak ward no 9	1570 05.12.22	Steel	46545
					योग	**1148653**

10.2 ₹8.16 लाख के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 676/2024 दिनांक 12/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹815952 के निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	मद का नाम	माह	निर्माण कार्य का नाम	चयनित माह में भुगतान की गई राशि (`)
1	Own & GIA (Consolidated)	06/22	खाता निर्माण महिला मंडल भवन गांव हटली	7262

2	Own & GIA (Consolidated)	06/22	खाता निर्माण लिंक रोड बंगला से कर्म चन्द के घर तक	36312
3	15th FC	06/22	C/o Link road to H/O Nyaj deen	28840
4	15th FC	06/22	C/O Soak Pit ward no. 1	8700
5	15th FC	06/22	C/O Water tank Vill. Nanawin	27641
6	MNREGA	06/23	C/O Path Around pond Panchvati near Mokshdham	44352
7	MNREGA	06/22, 06/23	C/O link road H/O Ajay kumar se kangdu ki aur vill. Nanawin	377504
8	MNREGA	06/23	C/o WHT Desh Raj	14414
9	MNREGA	06/22, 06/23	C/o Link road Nanawin se NH ki Aur	226903
10	MNREGA	06/22	C/o Retaining wall near H/O Ranjit Singh	26924
11	MNREGA	06/22	C/o Retaining wall near H/O Vijay kumar	17100
			योग	**815952**

10.3 ₹0.36 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 674/2024 दिनांक 12/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹36312 के निम्न विवरणानुसार** कार्य से सम्बन्धित मूल बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्य में प्रयोग की गई सामग्री से सम्बन्धित मूल बिल को अभिलेख से ढूंढकर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या / माह	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	राशि (`)
1	Own & GIA (Consolidated)	09 06/23	खाता निर्माण लिंक रोड बंगला से कर्म चन्द के घर तक	HP Civil Supply Bangana	cement	36312

10.4 उचित बिलों के बिना ₹0.06 लाख का भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 47 (2) के अनुसार दावाकर्ता को अपने दावे उचित बिल पर प्रस्तुत करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सचिव द्वारा चयनित माह 06/22 व 06/23 में **निम्न विवरणानुसार ₹5850** का व्यय उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 670/2024 दिनांक 12/08/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत धुन्धला के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त कर लिए जाएंगे। अतः उक्त व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित व्यक्तियों से उचित बिल प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	माह	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (`)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	17	06/22	अजय कुमार सपुत्र श्री बलबीर सिंह गांव मलांगड़	चायपान	3600
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	13	06/23	रेखा देवी पत्नी श्री सुख देव गांव धुन्धला	चायपान	2250

					योग	5850

11.1 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 679/2024 दिनांक 13/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (`)
1	Own & GIA (consolidated)	29, 16.02.22	रेत	8700
2	Own & GIA (consolidated)	28, 16.02.22	रेत	10150
3	Own & GIA (consolidated)	1304, 17.05.23	अलमारी	11210
4	Own & GIA (consolidated)	2263, 18.05.23	स्टेशनरी	2205
5	Own & GIA (consolidated)	Vr. 13, 25.03.23	चायपान	2250

11.2 प्रमाणकों पर सयुंक्त हस्ताक्षर न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) के अनुसार किसी भी प्रमाणक/वाउचर के लिए तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सम्बद्ध पंचायत सचिव द्वारा सयुंक्त हस्ताक्षर नहीं किए जाते

हैं, परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि उक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई थी, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अतः इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 680/2024 दिनांक 13/08/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 15 दिनांक 14/08/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर सयुंक्त हस्ताक्षर करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (`)
1	मनरेगा	822, (22.05.22 to 30.05.22)	मजदूरी	19080
2	मनरेगा	823, (22.05.22 to 30.05.22)	मजदूरी	3816
3	मनरेगा	893, (01.06.22 to 15.06.22)	मजदूरी	26924
4	मनरेगा	894, (01.06.22 to 15.06.22)	मजदूरी	23108
5	मनरेगा	895, (01.06.22 to 15.06.22)	मजदूरी	13780

11.3 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 659/2024 दिनांक 05/08/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 14 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 658/2024 दिनांक 05/08/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 13 दिनांक 14/08/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

18 OCT 2024 का0/प्रति
4693–4697

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)5/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।
5 सचिव, ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

पंजीकृत

18 OCT 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत धुंधला, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3704040.50	7674776.856	11378817.36	7271999.86	4106817.50
2	2023-24	4106817.5	4143132.28	8249949.78	4254208.08	3995741.70

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुंधला
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

ग्राम पंचायत धुंधला, विकास खण्ड बंगाणा व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1644239.5	1579639	3223878.5	1694707	1529171.5
2	2023-24	1529171.5	1428778	2957949.5	1361627	1596322.5

स्वच्छ भारत मिशन 2022-23(PFMS Online), 2023-24 (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	558799	558799	558799	0
2	2023-24	0	73266	73266	0	73266

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2055209	1414406	3469615	896825	2572790
2	2023-24	2572790	455516.2	3028306.2	706975	2321331.2

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	4121668.856	4121668.856	4121668.856	0
2	2023-24	0	2185444.08	2185444.08	2185444.08	0

IPH (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	4592.00	264	4856	0.00	4856
2	2023-24	4856	128	4984	162	4822

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुंधला
वि.ख.बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

<u>परिशिष्ट क-1</u> पैरा संख्या 4 (ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Bangana (OWN & GIA)	20034024172	1594935.50
	KCCB Bangana (OWN & GIA)	50065949064	0.00
	HDFC Bangana	50100658810890	73266.00
	PNB Bangana (15th FC)	6809001700019854	2321331.20
	PNB Bangana (Salary water gourd)	6809001700000120	4822.00
		योग	**3994354.70**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	1187.00
		योग (1+2)	**3995541.70**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत........
वि.ख.बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3995741.70
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**3994354.70**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि	1187.00
4)	**योग (2+3)**	**3995541.70**
5)	**अन्तर (1-4)**	**200.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ....
वि.ख.बेगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट ख

पैरा संख्या 7.1 क में संदर्भित

ग्राम पंचायत धुन्धला, विकास खण्ड बंगाणा, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	26940	14000	40940	39660	1280
2023-24	1280	14340	15620	14880	740

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत.....
वि.ख.बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

परिशिष्ट 'ग' (कुल पृष्ठ - 2) पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत धुन्दला विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना (हि० प्र०)

शादी पंजीकरण रिपोर्ट 04-22 से 03-24

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशी	वसूली गई राशी	वसूली हेतु शेष राशी
1	विपन कुमार पुत्र अजित सिंह गाँव धुन्दला	10-04-2022	20-04-2022	883040	200	200	0.00
2	मोहिंदर पाल पुत्र कमल देव गाँव वैरी	09-02-2022	20-04-2022	883041	400	200	200.00
3	सचिन कुमार पुत्र रणजीत सिंह गाँव धुन्दला	21-04-2022	13-05-2022	883042	200	200	0.00
4	नवीन कुमार पुत्र तारा चंद गाँव धुन्दला	02-05-2022	20-05-2022	883043	200	200	0.00
5	आशीष डोगरा पुत्र मदन लाल डोगरा गाँव धुन्दला	11-05-2022	27-05-2022	883044	200	200	0.00
6	सुरजीत कुमार पुत्र वतन चंद गाँव ननावी	09-05-2022	28-05-2022	883045	200	200	0.00
7	रोहित कुमार पुत्र तारा चंद गाँव धुन्दला	19-06-2012	21-06-2022	883051	400	400	0.00
8	मनोज कुमार पुत्र विक्रम चंद गाँव धुन्दला	18-05-2022	21-06-2022	883052	400	400	0.00
9	पंकज कुमार पुत्र जगदीश चंद गाँव धुन्दला	20-06-2022	08-09-2022	883062	400	400	0.00
10	राजेश कुमार पुत्र ज्ञान चंद गाँव धुन्दला	26-05-2021	30-09-2022	883065	400	200	200.00
11	अक्षय कुमार पुत्र रमेश चंद गाँव वैरी	26-09-2022	14-10-2022	883071	200	200	0.00
12	अजय कुमार सपुत्र रसीला राम गाँव ननावी	26-09-2022	14-10-2022	883072	200	200	0.00
13	राहुल राणा पुत्र प्रीतम चंद गाँव धुन्दला	27-09-2022	14-10-2022	883073	200	200	0.00
14	अक्षय कुमार पुत्र रमेश चंद गाँव ननावी	26-09-2022	31-10-2022	883078	400	400	0.00
15	रणवीर सिंह पुत्र सुख राम गाँव हटली डा0 धुन्दला	04-11-2022	25-11-2022	883080	200	200	0.00
16	यशपाल पुत्र तारा चंद गाँव धुन्दला	02-12-2022	13-12-2022	883084	200	200	0.00
17	दीपक पवार पुत्र किशोरी लाल गाँव धुन्दला	07-12-2022	15-12-2022	883085	200	200	0.00
18	सुनील कुमार पुत्र जगदीश चन्द गाँव धुन्दला	06-04-2022	19-12-2022	883086	400	400	0.00
19	राज कुमार पुत्र वतन चंद गाँव ननावी	04-12-2022	19-12-2022	883087	200	200	0.00
20	आदर्श पुत्र देवेंदर कुमार गाँव ननावी	26-01-2023	31-01-2023	0	200	0	200.00
21	दीपक सोनी पुत्र रमेश चंद गाँव धुन्दला	27-01-2023	08-02-2023	883093	200	200	0.00
22	सतीष कुमार पुत्र ओमप्रकाश गाँव वैरी	31-01-2023	15-02-2023	883094	200	200	0.00
23	अभिषेक शर्मा पुत्र प्यारे लाल गाँव वैरी	31-01-2023	15-02-2023	883095	200	200	0.00
24	रजत कानुगो पुत्र देवेंदर कुमार गाँव वैरी	09-02-2023	17-02-2023	883096	200	200	0.00
25	दिनेश कुमार पुत्र अशोक कुमार गाँव वैरी	09-02-2023	27-02-2023	0	200	0	200.00
26	अरुण कुमार पुत्र अशोक कुमार गाँव धुन्दला	09-02-2023	06-03-2023	883269	400	400	0.00
27	मणि सिंह ठाकुर पुत्र फतेह सिंह गाँव धुन्दला	22-02-2023	07-03-2023	883335	200	200	0.00
28	अभिषेक मुहमद पुत्र प्यारे लाल गाँव ननावी	26-02-2023	14-03-2023	883523	200	200	0.00
29	विजय कुमार पुत्र रतन चंद गाँव धुन्दला	22-02-2023	29-03-2023	19395	400	400	0.00
30	संजय कुमार पुत्र अशोक कुमार गाँव धुन्दला	03-05-2023	15-05-2023	19492	200	200	0.00
31	अजय कुमार पुत्र बंकू राम गाँव धुन्दला	11-05-2023	02-06-2023	19498	200	200	0.00
32	लखन पाल पुत्र रतन चंद गाँव वैरी	03-05-2023	23-05-2023	19496	200	200	0.00
33	मनीश कुमार पुत्र मंगत राम धुन्दला	12-05-2023	02-06-2023	19497	200	200	0.00
34	विवेक कुमार पुत्र तिलक राज गाँव ननावी	11-05-2023	02-06-2023	19498	200	200	0.00
35	विकास मुहम्मद सपुत्र बबली गाँव ननावी	05-05-2023	03-06-2023	19500	200	200	0.00
36	अजय खुल्लर सपुत्र अविनाश कुमार खुल्लर गाँव धुन्दला	02-12-2022	14-06-2023	19501	400	400	0.00
37	प्रदीप कुमार पुत्र गुर प्यार सिंह गाँव धुन्दला	21-05-2023	14-06-2023	19502	200	200	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख. बंगाणा जि. ऊना (हि.प्र.)

38	अमित शर्मा पुत्र अजित कुमार गाँव वैरी	06-02-2023	06-07-2023	19503	400	400	0.00
39	बलिंदर पुत्र जगीर सिंह गाँव वैरी	27-06-2023	14-07-2023	19505	200	200	0.00
40	कपिल देव पुत्र विधि चंद गाँव वैरी	26-06-2023	14-07-2023	19508	200	.200	0.00
41	राजन शर्मा सपुत्र चंदन शर्मा गाँव ननावीं	28-11-2023	06-12-2023	19521	200	200	0.00
42	विनोद कुमार सपुत्र जगदीश चंद गाँव धुन्दला	28-11-2023	07-12-2023	19522	200	200	0.00
43	मुस्ताक एहमद पुत्र जान मोहमद	05-12-2023	16-12-2023	19525	200	200	0.00
44	राजीव कुमार पुत्र रूप लाल गाँव धुन्दला	08-12-2023	19-12-2023	19535	200	200	0.00
45	रोहित पूरी पुत्र रविंदर कुमार गाँव ननवी	16-01-2024	17-02-2024	19984	400	400	0.00
46	अश्वनी कुमार पुत्र रमेश चंद गाँव वैरी	04-02-2024	21-02-2024	19985	200	200	0.00
47	अमित कुमार पुत्र धन्नी राम गाँव धुन्दला	31-01-2024	21-02-2024	19986	200	200	0.00
48	गोरव शर्मा पुत्र सुभाष चंद गाँव वैरी	07-03-2024	23-03-2024	33749	200	200	0.00
			कुल योग		12000	11200	800.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
[illegible] ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ध'

पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	भुगतान माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	0299076 26.04.23	HP Civil Supply Bangana	Cement (20bags)	7262
2	स्व. स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	9 --	HP Civil Supply Bangana	Cement (100bags)	36312
3	Own & GIA (Consolidated)	06/23	14 ---	आर्यन ट्रेडर गांव बंगाणा	स्टेशनरी	2205
4	Own & GIA (Consolidated)	06/23	15 17.05.23	M/s Vishwakarma traders Bangana	अलमारी	11210
5	15th FC	06/22	28 16.02.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	10150
6	15th FC	06/22	29 16.02.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	8700
7	15th fc	06/22	305646 09.03.22	HP State Civil Supply Bangana	Cement	27641
8	MNREGA	06/22	20 26.03.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	8700
9	MNREGA	06/22	278 26.03.22	Subhash Chand Govt. Cont.	Agg.	8400
10	MNREGA	06/22	741 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	91581
11	MNREGA	06/22	21 26.03.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	8700
12	MNREGA	06/22	279 26.03.22	Subhash Chand Govt. Cont.	Agg.	8400
13	MNREGA	06/22	742 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	92927
14	MNREGA	06/22	22 26.03.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	8700
15	MNREGA	06/22	280 26.03.22	Subhash Chand Govt. Cont.	Agg.	8400

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

16	MNREGA	06/22	743 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	93858
17	MNREGA	06/22	305638 to 48 28.02.22	HP State Civil Supply Bangana	Cement	563565
18	MNREGA	06/22	636665 30.10.21	HP State Civil Supply Bangana	Cement	70638
19	MNREGA	06/22	18 26.03.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	8700
20	MNREGA	06/22	276 26.03.22	Subhash Chand Govt. Cont.	Agg.	8400
21	MNREGA	06/22	17 26.03.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	8700
22	MNREGA	06/22	275 26.03.22	Subhash Chand Govt. Cont.	Agg.	8400
23	MNREGA	06/22	19 26.03.22	Naresh Kumar s/o Sh. Nikku Ram	sand	8700
24	MNREGA	06/22	277 26.03.22	Subhash Chand Govt. Cont.	Agg.	8400
25	MNREGA	06/22	745 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	74036
26	MNREGA	06/22	44455 14.12.21	HP State Civil Supply Bangana	Cement	368544
27	MNREGA	06/22	737 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	13326
28	MNREGA	06/22	744 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	110238
29	MNREGA	06/22	746 30.10.21	M/s Aryan Enterprises VPO Dhundhla	Steel	99886
30	MNREGA	06/23	18 02.06.23	Ramjan Cement Store Malangar	Sand,	17970
31	MNREGA	06/23	62611 26.04.23	HP State Civil Supply Bangana	Cement	14414
32	MNREGA	06/23	16 02.06.23	Ramjan Cement Store Malangar	Sand,	35980
					योग	1853043

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख. बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट ङ पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत धुन्दला विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना (हि॰ प्र॰)

सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) 04-22 से 03-24 के माह 06-22 व 06-23

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/माह	कार्य का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फेक्टर	मात्र(टनों में)	दर(प्रति टन)	देय रोयल्टी
1	15thfc	7/13-06-22	निर्माण रास्ता GPS ननावीं से H/O न्याजदीन	28,29/16-02-22	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	13	1.62	21.06	80	1684.8
2	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण साईक्लोन शेल्टर -3 पंचवटी बेरी	21/26-03-22	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
3	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण साईक्लोन शेल्टर -पंचवटी बेरी	20/26-03-22	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
4	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण साईक्लोन शेल्टर -4 पंचवटी बेरी	22/26-03-22	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
5	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण सुरक्षा दीवार गुरुदयाल चंद पुत्र बरडू राम गांव बेरी	17/26-03-22	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
6	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण सुरक्षा दीवार अशोक कुमार पुत्र दाता राम गांव बेरी	18/26-03-22	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
7	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण सुरक्षा दीवार विजय कुमार पुत्र रोशन लाल गांव ननावीं	19/26-03-22	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	6	1.62	9.72	80	777.6
8	मनरेगा	23/06/2023	निर्माण नाली/चैनलीकरण गांव हटली देव राज पुत्र सुदामा आदि ग्राम	18/21-01-23	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	24	1.62	38.88	80	3110.4
9	मनरेगा	23/06/2023	निर्माण लिंक रोड ननावीं से NH की ओर	16/20-01-23	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	24	1.62	38.88	80	3110.4
10	मनरेगा	23/06/2023	निर्माण लिंक रोड ननावीं से NH की ओर	21/20-01-23	नरेश कुमार सपुत्र निक्कू राम गाँव ननावीं	रेत	30	1.62	48.6	80	3888
11	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण रास्ता स्कूल से लेकर कुराली तक वार्ड नंबर 9	806/24-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
12	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण रास्ता स्कूल से लेकर कुराली तक वार्ड नंबर 9	807/24-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

13	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण रास्ता स्कूल से लेकर कुराली तक वार्ड नंबर 9	808/24-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
14	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण रास्ता स्कूल से लेकर कुराली तक वार्ड नंबर 9	809/24-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
15	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण रास्ता स्कूल से लेकर कुराली तक वार्ड नंबर 9	855/25-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	16	1.52	24.32	80	1945.6
16	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से H/O रसीला राम की और गांव ननावीं	857/25-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	25	1.52	38	80	3040
17	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण लिंक रोड यशपाल के घर से माधो राम के घर तक वार्ड नंबर 8	866/02-06-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	30	1.52	45.6	80	3648
18	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण पुली संजीव कुमार पुत्र उधम सिंह गांव हटली	868/02-06-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	15	1.52	22.8	80	1824
19	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से H/O रसीला राम की और गांव ननावीं	805/25-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	18	1.52	27.36	80	2188.8
20	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से H/O रसीला राम की और गांव ननावीं	861/25-01-23	पंकज स्टील ट्रेडिंग कंपनी	बजरी	8.91	1.52	13.5432	80	1083.456
21	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण साईक्लोन शेल्टर -पंचवटी बेरी	278/26-03-22	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
22	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण साईक्लोन शेल्टर -3 पंचवटी बेरी	279/26-03-22	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
23	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण साईक्लोन शेल्टर -4 पंचवटी बेरी	280/26-03-22	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
24	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण सुरक्षा दीवार अशोक कुमार पुत्र दाता राम गांव बेरी	276/26-03-22	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
25	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण सुरक्षा दीवार गुरुदयाल चंद पुत्र बरडू राम गांव बेरी	275/26-03-22	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
26	मनरेगा	29/06/2022	निर्माण सुरक्षा दीवार विजय कुमार पुत्र रोशन लाल गांव ननावीं	277/26-03-22	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	6	1.52	9.12	80	729.6
27	मनरेगा	23/06/2023	निर्माण नाली/चैनलीकरण गांव हटली देव राज पुत्र सुदामा आदि ग्राम	307/23-01-23	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	24	1.52	36.48	80	2918.4
28	मनरेगा	23/06/2023	निर्माण लिंक रोड ननावीं से NH की ओर	305/22-01-23	सुभाष चंद सरकारी ठेकेदार	बजरी	30	1.52	45.6	80	3648

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख. बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

29	मनरेगा	27/06/2023	मोक्ष धाम ननावीं का उन्नयन	18/02-06-23	रमजान	रेत	15	1.62	24.3	80	1944
30	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण लिंक रोड यशपाल के घर से माधो राम के घर तक वार्ड नंबर 8	16/02-06-23	रमजान	रेत	30	1.62	48.6	80	3888
31	मनरेगा	27/06/2023	निर्माण पुली संजीव कुमार पुत्र उधम सिंह गांव हटली	19/02-06-23	रमजान	रेत	12	1.62	19.44	80	1555.2
32	मनरेगा	28/06/2023	निर्माण रास्ता स्कूल से लेकर कुराली तक वार्ड नंबर 9	03/21-01-23	रमजान	रेत	36	1.62	58.32	80	4665.6
33	मनरेगा	28/06/2023	निर्माण रास्ता स्कूल से लेकर कुराली तक वार्ड नंबर 9	04/21-01-23	रमजान	रेत	18	1.62	29.16	80	2332.8
34	मनरेगा	28/06/2023	निर्माण लिंक रोड मेन रोड से H/O रसीला राम की और गांव ननावीं	05/21-01-23	रमजान	रेत	18	1.62	29.16	80	2332.8
					कुल योग		530.91			योग	66606.656
										25% पेनल्टी	16651.664
										कुल योग	83258.32

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख. बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'च' पैरा संख्या 9.2 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत धुन्दला विकास खण्ड बंगाणा जिला ऊना (हि० प्र०)

माह 06/22 में M/S Aryan Enterprises Dhundla को किया गया भुगतान निम्न प्रकार से है

क्रम संख्या	मद	कार्य का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	राशी (GST को छोड़ कर)
1	मनरेगा	निर्माण साईकलोन शैल्टर पंचवटी बैरी	741/30-10-21	77611.00
2	मनरेगा	निर्माण साईकलोन शैल्टर पंचवटी बैरी III	742/30-10-21	78751.00
3	मनरेगा	निर्माण साईकलोन शैल्टर पंचवटी बैरी IV	743/30-10-21	79541.00
4	मनरेगा	अपग्रेशन तालाब पंचवटी बैरी	737/30-10-21	13325.00
			744/30-10-21	93422.00
			746/30-10-21	84650.00
5	मनरेगा	निर्माण रास्ता आदि बाउंडरी वाल और डगा गाँव बैरी	745/30-10-21	74036.00
			कुल योग	501336.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख.बंगाणा जि.ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'छ'   पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

निर्माण कार्यों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण अधिक भुगतान करना

क) कार्य का नाम :- **C/O Community sanitary Complex near Mokshdham dhundla (SBM, PFMS)**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा)घन मीटर(	सरिया) किलो ग्राम(
30854 20	Providing mild steel/ for steel reinforcement for RCC Work.	3.35	301 (3.35×90)
		योग	**301**
	ग्राम पंचायत द्वारा बिल संख्या 1519, 1531, 1522 अनुसार जारी खपत मात्रा /		**716.600**
	अधिक खपत जारी निर्माण सामग्री /		415.600
	क्रय दर		78किलो ग्राम
	अधिक भुगतान		**32416.80**

ख) कार्य का नाम :- **C/O Rasta School se lekar Kurali tak ward no 9**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा)घन मीटर(	रेत) घन मीटर(	बजरी घन) मीटर(
30852 7	CC 1:5:10	60.08	28.23	53.47
8	CC 1:2:4	5.25	2.33	4.67
9	CC 1:6:12	18.52	8.70	16.48
9	CC 1:2:4	12.15	5.40	10.81
		योग	**44.66**	**85.43**
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 14 ,(बजरी) 5 (रेत) अनुसार जारी खपत मात्रा /		**54**	**88**
	अधिक खपत जारी निर्माण सामग्री /		9.34	2.57
	क्रय दर		1198 प्रति घन मीटर	1165 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान		**11189**	**2994**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धुन्दला
वि.ख.बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)

ग) कार्य का नाम :- **C/O Link road main road se H/O Rasila Ram ki Aur**

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा)घन मीटर(	बजरी घन) मीटर(
992 79	CC 1:5:10	33.45	29.77
79	CC 1:3:6	5.40	4.80
		योग	**34.57**
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या (बजरी) 5 अनुसार जारी / खपत मात्रा		**51.91**
	अधिक खपत जारी निर्माण सामग्री /		17.34
	क्रय दर		1165 प्रति घन मीटर
	अधिक भुगतान		**20201**

कुल अधिक भुगतान (क+ख+ग) = **66800.80**

पचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...
वि.ख. बंगाणा जिला ऊना (हि०प्र०)